

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5(9)नविदि/II/2014(लूज)

जयपुर, दिनांक: 03.08.2017

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नांकित अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति लोकहित में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर निम्नानुसार एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री दीपक माथुर	अधिशाषी अभियन्ता	पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में नगरीय विकास विभाग	नगर निगम, जयपुर
2.	श्री सुभाष अग्रवाल	अधिशाषी अभियन्ता	नगर परिषद, जैसलमेर	नगर विकास न्यास, आबू रोड़
3.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास	अधिशाषी अभियन्ता	जोधपुर विकास प्राधिकरण (जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का अतिरिक्त कार्यभार)	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति
4.	श्री सुबोध माथुर	सहायक अभियन्ता	नगर निगम, जोधपुर	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री अरूण व्यास	कनिष्ठ अभियन्ता	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	नगरपालिका, पोकरण जिला जैसलमेर
6.	श्री दिनेश चन्द	कनिष्ठ अभियन्ता	नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर	नगरपालिका, चाकसू (जयपुर)
7.	श्री परमेश्वर जैलिया	कनिष्ठ अभियन्ता	नगर निगम, जयपुर	नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर
8.	श्री राजेश व्यास	कनिष्ठ अभियन्ता	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति
9.	श्री मुकेश महावर	कनिष्ठ अभियन्ता	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	नगर विकास न्यास, कोटा

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू, अलवर, भरतपुर, भिवाडी, भीलवाडा, बीकानेर, बाडमेर, सीकर, चित्तौडगढ़, सवाईमाधोपुर, पाली, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर।
6. कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर।
8. आयुक्त, नगर परिषद, जैसलमेर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू (जयपुर)।
10. संबंधित अधिकारी।
11. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
12. रक्षित पत्रावली।

Sd/- 4/8/17

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम